

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
संख्या-सं०वि०क०नि०-१-१६६८ / ११-२०१७-९३ / २०१७
लखनऊः दिनांक: १६ नवम्बर, २०१७

विज्ञप्ति :-

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्कॉनिंग संबंधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1, दिनांक 26-10-1985, शासनादेश संख्या-868/13/6/98- का०-१-२०००, दिनांक 23-09-2000 तथा शासनादेश संख्या-३/२०१७/१३(१)/२००७/ का०-१-२०१७, दिनांक ०६-०७-२०१७ के प्राविधानानुसार फाइनेंशियल हैण्डबुक, खण्ड-२, भाग-२ से ४ तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल ५६ के खण्ड-(सी) के अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि डा० अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की नियमानुसार धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे, जिस दर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

श्री राज्यपाल की ओर से,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-सं०वि०क०नि०-१-१६६८ (१) / ११-२०१७, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. डा० अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
6. कर एवं निबन्धन अनुभाग-४
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस०पी० अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

कृतिः
राजी अग्रवाल
16-11-17

849
16-11-17
राजी अग्रवाल

3615
16-11-17
राजी अग्रवाल

वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: १६ नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १ संयुक्त सचिव,कर एवं निबन्धन अनुभाग-१, ३०प्र०शासन सचिवालय, लखनऊ।
२. एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- ३- एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- ५- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर(कमिश्नर कैम्प) मुख्यालय।
- ६- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
- ७- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१,जोन प्रथम, वाराणसी को दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की एक प्रति तत्काल डा०अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट)-प्रथम, वाणिज्य कर, वाराणसी को तामील कराकर तामीलीशुदा प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८- सम्बन्धित अधिकारी डा०अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट)-प्रथम, वाणिज्य कर, वाराणसी को उपरोक्तानुसार।
- ९- डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, वाराणसी।
- १०- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- ११- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए, स्थापना राजपत्रित अनुभाग।
- १२- चरित्र पंजिका पटल।


१६/११/१७

(बिबिता तिवारी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।